Speed Post

कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

—ज्ञापन—

क्रमांक क/भू–अर्जन/23/2016 जगदलपुर, दिनॉक 01 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर 2016

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
जिला कार्यालय जगदलपुर ।

विषय :– भू–अर्जन अधिनियम की धारा 19(7) संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन ।

000

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)/भू–अर्जन अधिकारी तोकापाल के न्यायालय में प्रक्रियाधीन भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ–82/14–15, 2/अ–82/14–15, 3/ अ–82 / 14–15,एवं 6/अ–82/14–15, में नवीन भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1)के तहत अंतिम अधिसूचना के प्रकाशनार्थ बारह मास की अवधि बढ़ाए जाने संबंधी अधिसूचना की तीन प्रतियॉ संलग्न कर प्रेषित है ।

कृपया संलग्न अधिसूचना कलेक्टर बस्तर के बेवसाईड पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अमित कटारिया)
कलेक्टर,
बस्तर जिला

Scanned by CamScanner

कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

— अधिसूचना —

क्रमांक क/भू–अर्जन/23/2016 जगदलपुर, दिनाँक 07 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर 2016

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम छापरभानपुरी , एवं उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व तट रेलवे विशाखापटनम के प्रस्ताव अनुसार ग्राम केशलुर, मण्डवा, एवं ग्राम मावलीभाटा की निजी भूमि अर्जन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा0)/भू–अर्जन अधिकारी तोकापाल के न्यायालय में प्रक्रियाधीन भू–अर्जन प्रकरणों में नवीन भू–अर्जन अधिनियम–2013 की धारा 11(1) के तहत जारी प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में होने तथा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ–82/14–15, 2/अ–82/14–15, 3/ अ–82 / 14–15, एवं 6/अ–82/14–15, में नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19(1) के तहत अंतिम अधिसूचना का प्रकाशन अपरिहार्य कारणों से नहीं किया जा सका है । चूँकि केन्द्र/राज्य शासन की विभिन्न योजना अन्तर्गत सार्वजनिक एवं राष्ट्र हित के लिए निर्माण कार्य हेतु भू–अर्जन किया जाना प्रस्तावित है ।

अतएव भू–अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी(रा0)/भू–अर्जन अधिकारी तोकापाल के न्यायालय में प्रक्रियाधीन उपरोक्त वर्णित भू–अर्जन प्रकरणों में नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19(1) के तहत अंतिम अधिसूचना के प्रकाशनार्थ बारह मास की अवधि बढ़ाई जाती है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमित कटारिया)
कलेक्टर एवं पदेन ,
~~उप सचिव~~ राजस्व विभाग छ0ग0शासन

Scanned by CamScanner